



दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
13 ⁰⁷ / ₁₉	<p>अभिलेख उपस्थापित। आवेदक ध्रुवा सुन्डी, पिता-स्व0 जोगना सुन्डी, ग्राम- लुपुंगुदू, थाना- मुफसिल जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- लुपुंगुदू, थाना- 645, खाता नं०- 215, प्लॉट नं०- 516, रकबा - 0.05 एकड़ भूमि क्रेता जमादार बानरा, पिता- श्री धनश्याम बानरा, ग्राम- धाधरी, थाना- मुफसिल के पास में विक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की विक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदक के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।</p> <p>अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 443, दिनांक- 6.07.2019 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता जमादार बानरा, पिता- श्री धनश्याम बानरा, ग्राम- धाधरी, थाना- मुफसिल, चाईबासा के पास 1,53,000.00/- (एक लाख तिरपन) रुपये में विक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों मुफसिल थाना के निवासी हैं। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ईलाका मानकी का विक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>उपरोक्त प्लॉट की विक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.40 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पत्ति पर्याप्त है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता ध्रुवा सुन्डी, पिता-स्व0 जोगना सुन्डी, ग्राम- लुपुंगुदू, थाना- मुफसिल क्रेताजमादार बानरा, पिता- श्री धनश्याम बानरा, ग्राम- धाधरी, थाना- मुफसिल के पास 1,53,000.00/- (एक लाख तिरपन) रुपये में मौजा- लुपुंगुदू, थाना- 645, खाता नं०- 215, प्लॉट नं०- 516, रकबा - 0.05 एकड़ जमीन को विक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत विक्री द्वारा हस्तांतरण करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता सदर चाईबासा।</p>	